

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 01/2025
किस्म :- प्रार्थना-पत्र
दायर दिनांक : 01.01.2025

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

—:अनवान:—

1. शंकरलाल पिता मोहनलाल जाति बैरवा निवासी कुण्डिया तहसील रेलमगरा जिला
राजसमन्द (राज.) — प्रार्थीगण

बनाम

1. उदयलाल पिता रामचंद्र जाति बैरवा निवासी कुण्डिया तहसील रेलमगरा जिला
राजसमन्द (राज.)
2. दलचंद्र पिता हजारीलाल जाति बैरवा निवासी कुण्डिया तहसील रेलमगरा जिला
राजसमन्द (राज.)
3. रतनलाल पिता रामचंद्र जाति बैरवा निवासी कुण्डिया तहसील रेलमगरा जिला
राजसमन्द (राज.)

.....विपक्षीगण


वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 1808/482 रकबा 0.2071 हे. आराजी संख्या 1815/1322 रकबा 0.2537 हे. आराजी संख्या 1818/481 रकबा 0.1788 हे. भूमि ग्राम कुण्डिया पटवार हल्का कुण्डिया तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढ़ी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जावे । फिस पत्थरगढ़ी 1500/- रूपये अक्षरे. एक हजार पांच सौ रूपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मानामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
राजसमंद